-1-

254

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

~~नि.—1096—II—16~~

नि. — 1125—II—16

तरवर पटैल उम्र 52 वर्ष बल्द बन्दू पटैल धंधा खेती

साकिन आनू तहसील व जिला, दमोह ......पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक

बनाम्

राजाराम पटैल उम्र 40 वर्ष बल्द झद्दू पटैल

साकिन आनू तहसील व जिला, दमोह ....उत्तरवादी/अनावेदक

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता । विरूद्ध आदेश दिनांक 2/2/2016 पारित द्वारा श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग, सागर अंदर रा. अपील कमांक 415 अ/5 वर्ष 2012–2013 पक्षकार राजाराम बनाम तरवर पटैल जिसमें उत्तरवादी/अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर तहसीलदार मण्डल हिण्डोरिया दमोह द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/7/2012 निरस्त कर दिया गया है ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य :–

मामले के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक की मौजा आनू रा.नि.मं. हिण्डोरिया तहसील व जिला दमोह में स्थित भूमि खसरा नंबर पुराना 671/1 रकवा 8.29 एकड़ (3.359 हे.) का मालिक काबिज पुनरीक्षणकर्ता है जिसका बंदोवस्त उपरांत नया खसरा नंबर 1851 रकवा 1.49, खसरा नंबर 1854 रकवा 1.44 कुल रकवा 2.93 हे. बनाया गया है, इस प्रकार नये बंदोवस्त में बंदोवस्त त्रुटि से पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक के रकवा 0.42 हे. भूमि कम कर दी गई है, जबकि पुनरीक्षणकर्ता का अपने संपूर्ण 3.359 हे. भूमि पर खेती कर आज भी काबिज चला आ रहा है ।

-2- निग. 1125. 11/16 (क्षेत्र)

8.9.16.

आवेदक को सुनवाई हेतु
पत्र परन्तु आवेदक उपस्थित नहीं
[illegible] [illegible] [illegible] को
आवेदक उपस्थित नहीं हुए
है अतः [illegible] को
आवेदक को प्रकरण में
रुचि [illegible] व [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] प्रकरण
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] किया जाता
है। प्रकरण नस्तीबद्ध हो।

(हस्ताक्षर)
(सचिव)